

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति० कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 22/2018

वीरेन्द्र कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।

आवेदक,

बनाम

श्रवण कुमार जाट पुत्र श्री हनुमान सहाय, मैसर्स :-लोटस दुग्ध संकलन केन्द्र, एस के एस 2410, मोडी बस स्टैण्ड वाया जाहोता, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर। निवासी-मुसानियों की ढाणी मोडी, मोरी देवगुडा, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर।

अभियुक्त,

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii)/51 खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011)

उपस्थिति:-

1. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आवेदक स्वयं उपस्थित ।
2. श्री एन के यादव अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से

निर्णय

दिनांक : 14.03.2022

यह परिवाद वीरेन्द्र कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 28.11.2016 को मैसर्स:-लोटस दुग्ध संकलन केन्द्र, एस के एस 2410, मोडी बस स्टैण्ड वाया जाहोता, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर का अभियुक्त श्रवण कुमार जाट की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण मौके पर 5 कैनो में मिश्रित दूध चिलिंग सेन्टर हेतु एकत्रित करना बताया। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से 2 लीटर मिश्रित वास्ते नमूना जांच संख्या अभिहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के कोड एवं क्रमांक ई-2779 के लिये क्रय किया गया। क्रय किये गये 2 लीटर मिश्रित दूध की कीमत अंके रुपये 80/- (अक्षरे रुपये अस्सी रूपयें मात्र) मौके पर उपस्थित श्रवण कुमार जाट से केश मीमो/रसीद प्राप्त की। जिस पर बतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये 2 लीटर मिश्रित दूध की जांच कराये जाने पर अमानक खाद्य पदार्थ होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा मिश्रित दूध का अमानक खाद्य पदार्थ पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। अतः धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्त को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के अनुसार तथा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 10.08.2011 के अनुसार कार्यक्षेत्र आवंटित किया गया था जिसकी अनुपालना में आवेदक द्वारा दिनांक 28.11.2016 को मैसर्स:-लोटस दुग्ध संकलन केन्द्र, एस के एस 2410, मोडी बस स्टैण्ड वाया जाहोता, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर के यहां पर निरीक्षण हेतु पहुंचे तथा निरीक्षण करने पर दुकान में 5 लीटर मिश्रित दूध चिलिंग सेन्टर हेतु एकत्रित कर 5 कैनो में रखा हुआ था। जिनमें मिलावट की कमी का/अमानक होने का शक होने पर नमूना जांच हेतु हिला मिला कर 2 लीटर मिश्रित दूध को खरीद कर खरीदशुदा दूध को सील बन्द कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को नमूना जांच हेतु जमा कराई गई। जिसमें खाद्य विश्लेषक राजस्थान, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एलएस/3479/एक्ट/2016/1151 दिनांक 15.12.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय



21

किया गया मिश्रित दूध अमानक खाद्य पदार्थ होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर धारा 51 के तहत निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि अभियुक्त छोटा दुकानदार है। अभियुक्त द्वारा गॉव के विभिन्न स्थानों से दूध एकत्रित किया जाता है। एकत्रित किए गए दूध में सभी प्रकार के जानवरों यथा गाय, भैंस, बकरी आदि का मिश्रित दूध विक्रय किया जाता है। मिश्रित दूध होने के कारण खाद्य विश्लेषक द्वारा थोडा फेट कम होने के कारण अमानक मिश्रित दूध अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है। अमानक होने का कारण मिश्रित दूध होना है। अभियुक्त द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः अभियुक्त का कोई दोष नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एवं धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रा0 पत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई है:-

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफ/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 में प्रकाशन हुआ है, की प्रति।
2. जोन जयपुर क्षेत्र प्रार्थी को आवंटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एच/पीएफ/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 की प्रति।
3. प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.11.2016 को नमूने के लिए क्रय किये 2 लीटर मिश्रित दूध के समर्थन में विक्रेता द्वारा दिनांक 28.11.2016 को दिये गए केश-मीमो दिनांक 28.11.2016 की प्रति जिस पर विक्रेता श्रवण कुमार जाट के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति के हस्ताक्षर विक्रेता श्रवण कुमार जाट के है।
5. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर विक्रेता श्रवण कुमार जाट के हस्ताक्षर है।
6. खाद्य विश्लेषक से नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 15.12.2016 की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना अमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना अंकित है।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अभियुक्त के पास वरवक्त निरीक्षण अमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध उपलब्ध था जिसमें फेट की मात्रा निर्धारित 8.5 प्रतिशत के स्थान पर 7.40 प्रतिशत पायी गई है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में नमूना लिये गये मिश्रित दूध को अमानक खाद्य पदार्थ पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। चूंकि अमानक खाद्य पदार्थ से आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अतः अभियुक्त द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये हम अभियुक्त के कृत्य के लिये रुपये 5,000 (अक्षरे रूपयें पांच हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 14.03.2022 को सुनाया गया।



(शंकर लाल सैनी)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
आति. जिला मजिस्ट्रेट,
(प्राथमिक), जयपुर